उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या :1030–वि0प0(21)/पाकालि/2014–3(2)वीपी/90 टी0सी0–।। दिनांक :अगस्त 11, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0–920–विप(21)/पाकालि/2014–3(2)वीपी/90 टी0 सी0–।।, दिनांक 15.07.2014 जिसके द्वारा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित **वाणिज्यिक वादों** की पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ताओं तथा पैनल अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान किया गया था, के तारतम्य में सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित **गैर–वाणिज्यिक वादों** की पैरवी हेतु भी स्थाई अधिवक्ताओं तथा पैनल अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार एतद्द्वारा सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक को प्रदान किया जाता है।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0–214–विप(21)/पाकालि/2014–3(3)वीपी/94 दिनांक 17.02.2014 में निहित व्यवस्थानुसार स्थायी अधिवक्ताओं को देय रिटेनरशिप फीस का भुगतान करने का अधिकार सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–920–विप(21)/पाकालि/2014–3(2)वीपी/90 टी0 सी0–।।, दिनांक 15.07.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुये कार्यालय ज्ञाप में निर्धारित अन्य प्रकिया/शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष

संख्या :–1030(1)वि0प0(21)/पाकालि/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2–निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0) महोदय के निजी सचिव उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

3–समस्त निदेशक, उ0प्र0 पाकालि/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

4–समस्त अधिकारी, विधि स्कन्ध, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

5–प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांन्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कारपोरेशन पैनल पर गैर–वाणिज्यिक वादों हेतु नामित पैनल अधिवक्ताओं/स्थायी अधिवक्ताओं की अद्यतन सूची, अधिवक्ता नियुक्ति प्रकिया, पैनल अधिवक्ताओं/स्थायी अधिवक्ताओं को देय फीस/रिटेनरशिप फीस संबंधी कारपोरेशन के आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है।

6–उपविधि अधिकारी,/समस्त सहायक विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/ मध्यान्चल/दक्षिणान्चल वि0वि0नि0लि0, मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा।

7–मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8–समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0 ।

9–मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10–उप महाप्रबन्धक (लेखा)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ ।

11–अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, कमरा नं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(ए0पी0 मिश्रा)

प्रबन्ध निदेशक